पुलिस आदेश सं0 216/2000.

(पुलिस आदेश 238/93 के कंडिका-12 में संशोधन)

पुलिस आदेश 238/93 के कंडिका-12 में यह उल्लेख है कि "यदि किसी परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर संदेह हो और उसका यथेष्ट कारण हो तो इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र अथवा प्रशिक्षण मुख्यालय को दे सकते हैं। मूल्यांकन शुल्क के रूप में 100/- रुपये जमा करना है।" इस आदेश के फलस्वरूप परीक्षाफल प्रकाशन के सालों-साल बाद अभ्यार्थी पुनः मूल्यांकन का आग्रह करते हैं, जिस कारण जाँची हुई पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना पड़ रहा है। फलस्वरूप पी0टी0सी0 में उत्तर पुस्तिकाओं का अम्बार हो गया है।

अतः पुलिस आदेश सं0 238/93 के कंडिका-12 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश दिया जा रहा है :-

(1) पुनः मूल्यांकन का दावा परीक्षाफल प्रकाशन के एक वर्ष तक ही मान्य होगा।

(2) उत्तर पुस्तिकाओं का विनष्टीकरण परीक्षाफल प्रकाशन के 3 वर्ष बाद कर दिया जाय।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा तथा इस आदेश के आलोक में पुलिस आदेश सं0 238/93 की कंडिका-12 संशोधित समझी जाय।

(हस्ताक्षर)

(के0 ए0 जैकब)

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1259 /प्रशि0

(1-27-98 अपार्ट)

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12.7./2000.

प्रतिलिपि :- आरक्षी महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

" 2. सभी प्रक्षेत्रीय अपर महानिदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।

" 3. आरक्षी महानिरीक्षक (लेखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

क्र0पृ0उ0

प्रतिलिपि:- 4. आरक्षी महानिरीक्षक, अप०अनु०वि०/विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

5. आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रशि०)-सह-प्राचार्य, पी०टी०सी०, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

6. सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

7. सभी समादेष्टाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

8. आरक्षी अधीक्षक, एम०पी०टी०सी०, पटना/सी०टी०एस०, नाथनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

9. प्राचार्य, टी०टी०एस०, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

10. आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ब्रजेन्द्र/10.7.

=====